कार्यालयः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

वन भवन—गुमला 835207

e-mail :- forest-gumla@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक ......783....... / दिनांक ......26/03/2022...... /

सेवा में,

Amalgam Steel & Power Limited,
Kandra Chowk Road, P.O -Kandra,
Dist-Seraikela-Kharsawan, Jamshedpur,
Jharkhand-832402.

विषय :— Request for issuance of Suitability Report for 33.72 Acres land located in Village-Samal, Thana no. 0059, Circle-Sisai, Dist-Gumla, Jharkhand, in favour of M/s Amalgam Steel & Power Limited for the purpose of Compensatory Afforestation.

प्रसंग :— आपका पत्रांक ASPL/LL/020/22 दिनांक 12.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मौजा— काण्ड्रा पो0—काण्ड्रा, जिला—सरायकेला—खरसांवा में अवस्थित M/s Amalgam Steel & Power Limited का एकीकृत स्टील प्लॉट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवेदित भूमि मौजा—समल थाना नं0— 0059 अंचल— सिसई, जिला— गुमला में कुल रकबा 33.72 acre गैर वन भूमि का उपयुक्तता (Suitability) प्रमाण—पत्र हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच वन क्षेत्र पदाधिकारी, गुमला द्वारा की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रमण्डलीय अभिलेख के अनुसार आवेदित भूमि विवरण में अंकित *मौजा—समल, खाता संख्या—19, प्लॉट संख्या— 657, रकबा—20.65 एकड़ अधिसूचित सीमांकित वन भूमि* है। इसके अतिरिक्त आवेदित गैर वन भूमि क्षतिपूरक **वृक्षारोपण के योग्य है** एवं **वन सीमा से बाहर** है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त पाया गया गैर वन भूमि का विवरणी निम्नवत है:—

क्र0सं0	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट	रकबा
1	Samal	0059	05	634	0.43
2			05	635	10.92
3			05	645	0.32
4			05	646	0.49
5			19	650	0.91
				Total -	**13.07**

उपरोक्त गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता हैः–

1. उक्त भूमि का अधिक से अधिक 5 (पांच) चेन की दूरी पर एवं कम से कम प्रत्येक मोड़ पर पक्का स्तम्भ (R.C.C. पीलर) से सीमाकंन करना होगा। पीलर की आकार विभागीय माप–दण्डों के अनुरूप होगा।
2. प्रत्येक पीलर का G.P.S. रीडिंग के साथ फोरवर्डबैरिंग, बैकवर्डबैरिंग एवं पीलर से पीलर की दूरी पीलर क्रमांक सहित दर्शाना होगा।
3. उक्त भूमि पर को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकार करने के पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करना होगा साथ ही भूमि के अतिक्रमण एवं सभी प्रकार के अधिभार से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर समर्पित करना होगा। इसके उपरान्त ही उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में स्वीकार की जायगी।
4. यदि उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के अलावे कोई अन्य कार्य किया जाता है तो यह Suitability Certificate स्वतः रद्द समझा जायेगा।
5. आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
6. विभाग को हस्तांतरण के पूर्व आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
7. भविष्य में अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा एवं इसकी सारी जवाब देवी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
8. विभाग को हस्तांतरण में यदि आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या वैधानिक अड़चन उत्पन्न होने पर उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि के बदले में आपको समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।
9. झारखण्ड राज्य सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवेदित भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण अपने पक्ष में हस्तांतरित करने में झारखण्ड राज्य में लागू भूमि संबंधित सभी नियम एवं कानून का अक्षरशः पालन करेंगे।

उक्त भूमि को विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने के पूर्व उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन्

26/3/2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।